UPAU010010202015

न्यायालय विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम, औरैया

उपस्थितः–**पारूल जैन, (उच्चतर न्यायिक सेवा)** J.O. Code UP–2391

विशेष वाद संख्या–**10 ए** सन **2015**

उत्तर प्रदेश राज्य...अभियोजन पक्ष।

बनाम

1. घनश्याम पुत्र श्री राधाकृष्ण निवासी ब्लाक गेट के सामने मोहल्ला पछईया औरैया थाना/ जिला औरैया

.... अभियुक्त

मुकदमा अपराध संख्या–**287/2015**

धारा–**138 बी भारतीय विद्युत अधिनियम**

थाना–**कोतवाली औरैया**, जनपद–औरैया।

निर्णय

1. अभियुक्त **घनश्याम** के विरूद्ध आरोप पत्र अन्तर्गत धारा –**138 बी भारतीय विद्युत अधिनियम** के तहत पुलिस थाना–**कोतवाली औरैया**, जिला–औरैया द्वारा विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम, औरैया के न्यायालय में प्रस्तुत किया गया, जिस पर विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर–2, औरैया द्वारा दिनांक 03.12.2015 को प्रसंज्ञान लिया गया।

2. माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 19.02.2016 के द्वारा उक्त पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.कोर्ट नम्बर–2 के न्यायालय में स्थानान्तरित की गयी। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 22.11.2017 के द्वारा उक्त पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश कोर्ट नम्बर–3 के न्यायालय में स्थानान्तरित की गयी। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 24.04.2018 के द्वारा उक्त पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–द्वितीय के न्यायालय में स्थानान्तरित की गयी। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 13.07.2018 के द्वारा उक्त पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम के न्यायालय में स्थानान्तरित की गयी। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 25.04.2019 के द्वारा उक्त पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–द्वितीय के न्यायालय में स्थानान्तरित की गयी। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 30.07.2019 के द्वारा उक्त पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.प्रथम के न्यायालय में स्थानान्तरित की गयी। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 22.08.2019 के द्वारा उक्त पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय के न्यायालय में स्थानान्तरित की गयी। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 22.04.2020 के द्वारा उक्त पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश /एफ.टी.सी.–प्रथम के न्यायालय में स्थानान्तरित की गयी। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 21.08.2020 के द्वारा उक्त पत्रावली अपर सत्र न्यायाधीश–तृतीय के न्यायालय में स्थानान्तरित की गयी। माननीय सत्र न्यायाधीश महोदय के आदेश दिनांकित 27.08.2021 के द्वारा उक्त पत्रावली अपर सत्र

Digitally signed by PARUL JAIN
Date: 2026.03.25 17:06:09 IST
Reason: Document Owner
Location: Additional District and Sessions Court-1,Auraiya

न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–द्वितीय के न्यायालय में स्थानान्तरित की गयी। आदेश पंजिका के अनुसार दिनांक 13.03.2023 से उक्त पत्रावली का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश/एफ.टी.सी.–द्वितीय के न्यायालय में स्थानान्तरित की गयी। आदेश पंजिका के अनुसार दिनांक 29.08.2023 से उक्त पत्रावली का विचारण अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम के न्यायालय में किया जा रहा है।

3. संक्षेप में, अभियोजन कथानक इस प्रकार है कि राजस्व वसूली एवं विद्युत चोरी रोको के अभियान के दौरान निम्नलिखित उपभोक्ता जिनके पूर्व में बकाये विद्युत एरियर पर संयोजित संयोजन एल०टी०पोल से कटवा दिये गये थे। दिनांक 30/03/2015 को पुनः क्रास चेकिंग के दौरान उपभोक्ताओं के संयोजन एल०टी० पोल से बिना बकाया एरियर जमा किये जुडे पाये गये जब निम्नलिखित व्यक्तियो बकाया एरियर से सम्बन्धित रसीदे दिखाने को कहा तो उन्होंने कोई भी जमा रशीद मौके पर नहीं दिखाई इससे स्पष्ट होता है कि उपभोक्ताओं के संयोजन एल०टी०पोल की लाइन से विच्छेद करवा दिये गये मौके पर उपभोक्ताओं ने बकाया एरियर से सम्बन्धित कोई भी राशि जमा नहीं की उपभोक्ताओ का विवरण निम्नलिखित है (1) श्री देवी दयाल पुत्र श्री कन्हैया लाल s.c. n0 1111/282877 मी0 सं0 la4264 बकाया धनराशि 21723.00 नि0 ब्लाक गेट के सामने पछईया मोहल्ला औरैया (2) श्री मूल चन्द पुत्र श्री राजकुमार s.c.n01111/220378 मी0 सं0 ehe 1499 बकाया धनराशि रु 081629.00 (3) श्रीमती रामेश्वरी देवी पत्नी श्री प्रहलाद s.c.n01111/892322 मी0 सं0 dr 1111 बकाया धनराशि रू० 30284.00 नि0 ब्लाक गेट के सामने पछड्या मोहल्ला औरैया (4) श्रीमती रामप्यारी पत्नी रामपाल s.c.n0.1111/017283 मी0 सं0ee6778 बकाया धनराशि रू० 182905.00 नि० ब्लाक गेट के सामने पछड्या मोहल्ला औरैया (5) श्रीमती रुकमणी देवी पक्षी श्री मूलचन्द scn01111/210261 मी०सं० बकाया धनराशि 53186.00 नि०ब्लाक गेट के सामने पछड्या मोहल्ला औरैया (6) श्रीमती सीता देवी पत्नी श्री प्रहलाद सिंह s.c.n01111/292845 मी0 सं0 dr1111 बकाया धनराशि रु024070.00 नि0 ब्लाक गेट के सामने पछड्या मोहल्ला औरैया (7) श्रीमती मलकी देवी पत्री श्री प्रहलाद सिह s.c.n01111/233733 मी0 सं0 dr1111 बकाया धनराशि रु0143958.00 नि० ब्लाक गेट के सामने औरैया (8) ठ श्री माखन लाल पुत्र श्री घनश्याम s.c.n01111/342433 मी0 सं0ca1712 बकाया धनराशि 18682.00 नि०ब्लाक गेट के सामने पछड्या मोहल्ला औरैया (9) श्री घनश्याम पुत्र श्री राधा कष्ण s.c.n0 1111/342454 मी0 सं0ca 1702 बकाया धनराशि 22918.00 नि0 ब्लाक गेट के सामने पछईया मोहल्ला औरैया। अतः पूर्व में बकाये विद्युत एरियर पर काटे गये संयोजनों की बकाया विद्युत बिल जमा करे बगैर विद्युत उपयोग कर रहे उपरोक्त उपभोक्ताओ के विरुद्ध वि०अधि० की धारा 138(B) के तहत प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी।

4. न्यायालय द्वारा अभियुक्त घनश्याम को आरोप पर सुनने के पश्चात अभियुक्त के विरूद्ध दिनांक 24.11.2025 को अन्तर्गत धारा–138 बी विद्युत अधिनियम के आरोप में आरोपित किया गया। अभियुक्त ने आरोप से इन्कार किया और विचारण की मांग की।

5. अभियुक्त के विरूद्ध विरचित आरोप को साबित करने के लिए अभियोजन पक्ष की ओर से मौखिक साक्ष्य में पी०डब्लू० –1 विवेक खरे, पी०डब्लू०–2 शशिकान्त मौर्या, पी०डब्लू०–3 चन्द्रभान (T.G.II), पी०डब्लू०–4 रिटायर्ड उपनिरीक्षक शिव नारायण दुबे व पी०डब्लू० –5H.C.C.P.118 पंकज यादव को प्रस्तुत किया गया तथा अभिलेखीय साक्ष्य में नक्शा नजरी प्रदर्श क–2, आरोपपत्र प्रदर्श क–3 को पी०डब्लू०–4 ने साबित किया है। नकल रपट प्रदर्श क–5 को पी०डब्लू०–5 ने साबित किया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर प्रदर्श क –4 अंकित किया गया है व पी.डब्लू.–5 ने साबित किया है। इस प्रकरण में प्रदर्श क–1 किसी भी प्रपत्र पर अंकित नहीं है। इस प्रकरण में मूल तहरीर उपलब्ध नहीं है। अतः तहरीर साबित नहीं की गयी है।

साक्षी की सूची

क्रम सं.	साक्षी का नाम	संक्षिप्त विवरण	साक्षी की भूमिका
1.	विवेक खरे	तथ्य का साक्षी	इस साक्षी ने न्यायालय के समक्ष स्वयं को वादी मुकदमा होना नहीं बताया है तथा इसके द्वारा मुख्य परीक्षा में यह कथन किया गया है कि दिनांक 30.03.2015 को वह समय करीब 12.00 दिन श्री शशिकान्त मौर्या अवर अभियन्ता औरैया, चन्द्रभान पुत्र रमेशचन्द्र व दीपक शर्मा टी.जी.–2 के साथ (पछईया बस्ती)मुहल्ला बनारसीदास में उसके द्वारा कोई विद्युत चैकिंग नहीं की गयी एवं न ही उसके द्वारा घनश्याम पुत्र राधाकृष्ण का विद्युत संयोजन चैक किया गया। विवेचक ने विवेचना के दौरान उसका नाम कैसे अंकित कर दिया क्योंकि वह शिकायतकर्ता भी नहीं है न ही उसने विवेचक को धारा 161 दं.प्र.सं. का बयान दिया था।
2.	शशिकान्त मौर्या	अवर अभियन्ता/वादी मुकदमा	इस साक्षी ने स्वयं को वादी मुकदमा बताया है तथा अपने हस्तलिखित तहरीर देने का कथन मुख्य परीक्षा में किया है। दिनांक 30.03.2015 को पूर्व में बकाये एरियर पर काटे गये विद्युत संयोजनों को उपभोक्ताओं द्वारा बिना विद्युत बिल जमा किये अपनी मन मर्जी से सप्लाई चालू कर लेने के संबन्ध में विद्युत अधिनियम की धारा 138 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के संबन्ध में प्रा० पत्र दिया था। राजस्व वसूली व विद्युत रोको अभियान के दौरान निम्नलिखित उपभोक्ता जिनके बकाये विद्युत एरियर पर संयोजित संयोजन एल. टी. पोल से कटवा दिये थे।
3.	चन्द्रभान (T.G.II)	तथ्य का गवाह/लाइनमैन	इस साक्षी द्वारा यह कथन किया गया है कि घनश्याम पुत्र राधाकृष्ण एस. सी. नं०– 1111/3454 मीटर संख्या ए.सी. 1702 बकाया धनराशि 22,918 निवास ब्लाक गेट के सामने पछइया मोहल्ला इसके अलावा अन्य और भी संयोजन अन्य भी संयोजन पछइया मोहल्ला में चेक किये गये थे।
4.	शिव नरायण दुबे	एस.सी.पी./विवेचक	इस साक्षी द्वारा नक्शा नजरी साबित किया है व आरोपपत्र विवेचना पूर्ण करने के उपरान्त न्यायालय में प्रेषित किया है। आरोपपत्र साबित किया है।
5.	पंकज यादव	कांस्टेबिल/प्रथम सूचना रिपोर्ट के लेखक	इस साक्षी द्वारा प्रथम सूचना रिपोर्ट व नकल रपट को साबित किया गया है।

प्रदर्शित दस्तावेजों की सूची

क्रम सं.	प्रदर्श संख्या	दस्तावेजों का विवरण	वह गवाह जिसने दस्तावेज को सत्यापित या प्रमाणित किया
1.	प्रदर्श क–2 प्रदर्श क–3	नक्शा नजरी आरोपपत्र	पी०डब्लू०–4 शिव नरायण दुबे
2.	प्रदर्श क–4 प्रदर्श क–5	प्रथम सूचना रिपोर्ट नकल रपट	पी०डब्लू०–5 पंकज यादव

भौतिक वस्तुओं/प्रदर्शित वस्तुओं की सूची

क्रम सं.	भौतिक वस्तुएं/प्रदर्शित संख्या	वस्तु का वर्णन	द्वारा सिद्ध किया गया/द्वारा प्रमाणित
	इस प्रकरण में न्यायालय के समक्ष किसी प्रकार की वस्तुएं प्रेषित नहीं की गयी है न ही प्रमाणित की गयी है।		

6. अभियोजन साक्ष्य समाप्त होने के उपरान्त अभियुक्त **घनश्याम** का बयान अन्तर्गत धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता दिनांक–12.02.2026 को अंकित किया गया। अपने धारा 313 दण्ड प्रक्रिया संहिता के बयानों में अभियुक्त द्वारा प्रश्न संख्या 1 के उत्तर में यह कथन किया गया है कि गलत है झूठी रिपोर्ट दर्ज की है। प्रश्न संख्या 2 के उत्तर में यह कथन किया है कि कुछ नहीं कहना है। प्रश्न संख्या 3 गलत है झूठा बयान दिया है। प्रश्न संख्या 4 के उत्तर में यह कथन किया है कि गलत है। प्रश्न संख्या 5 के उत्तर में यह कथन किया है कि गलत विवेचना कर झूठा आरोपपत्र प्रेषित किया। प्रश्न संख्या 6 के उत्तर में यह कथन किया है कि गलत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की है। प्रश्न संख्या 7 के उत्तर में यह कथन किया है कि झूठा मुकदमा चला। प्रश्न संख्या 9 के उत्तर में यह कथन किया है कि वह निर्दोष है उसके ऊपर झूठा मुकदमा पंजीकृत कराया गया है। उसके द्वारा कोई बिजली चोरी नहीं की गयी है। अभियुक्त द्वारा सफाई साक्ष्य देने हेतु इंकार किया गया।

7. न्यायालय द्वारा अभियोजन पक्ष की तरफ से उपस्थित विद्युत के विद्वान अधिवक्ता तथा अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के तर्को को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

8. **पी०डब्लू०–1 विवेक खरे** ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 30.03.2015 को अवर अभियन्ता के पद पर 33/11KV विद्युत उपकेन्द्र ककोर जनपद औरैया में तैनात था। दिनांक 30.03.2015 को वह समय करीब 12.00 दिन श्री शशिकान्त मौर्या अवर अभियन्ता औरैया, चन्द्रभान पुत्र रमेशचन्द्र व दीपक शर्मा टी .जी.–2 के साथ (पछईया बस्ती)मुहल्ला बनारसीदास में उसके द्वारा कोई विद्युत चैकिंग नहीं की गयी एवं न ही घनश्याम पुत्र राधाकृष्ण का विद्युत संयोजन चैक किया गया। विवेचनाधिकारी द्वारा उसका नाम मुकदमा अपराध 287/2015 अन्तर्गत धारा 138 बी विद्युत अधिनियम थाना औरैया जनपद औरैया के मामले में प्रेषित आरोपपत्र संख्या 173/2015 दिनांक 09.04.2015 में साक्षी के रूप में उसका नाम दौरान विवेचना कैसे अंकित कर दिया वह इस मामले का शिकायतकर्ता भी नहीं है और न ही विवेचनाधिकारी। दौरान विवेचना उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपी.सी. कैसे अंकित कर दिया है इसकी वजह वह नहीं बता सकता।

9. **पी०डब्लू०–2 शशिकान्त मौर्या** ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में यह कथन किया है कि वह दिनांक 30–03–2015 को अवर अभियंता के पद पर विद्युत वितरण खण्ड औरैया जनपद औरैया पर तैनात था। पूर्व में बकाये एरियर पर काटे गये विद्युत संयोजनों को उपभोक्ताओं द्वारा बिना विद्युत बिल जमा किये अपनी मन मर्जी से सप्लाई चालू कर लेने के संबन्ध में विद्युत अधिनियम की धारा 138 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के संबन्ध में प्रा० पत्र दिया था। राजस्व वसूली व

विद्युत चोरी रोको अभियान के दौरान निम्नलिखित उपभोक्ता जिनके बकाये विद्युत एरियर पर संयोजित संयोजन एल. टी. पोल से कटवा दिये थे। दिनांक 30–03–2015 को पुनः क्रास चेकिंग के दौरान उपभोक्ताओं के संयोजन एल. टी. पोल से बिना बकाया एरियर जमा किये बगैर जुडे पाये गये जब इन व्यक्तियों से बकाया एरियर के संबन्ध में जमा रसीद दिखाने को कहा तो कोई भी रसीद नहीं दिखायी इससे स्पष्ट होता है, कि उपभोक्ताओं के संयोजन एल. टी. पोल लाइन से करवा दिये गये। मौके पर उपभोक्ताओं ने बकाया एरियर से संबन्धित कोई भी राशि जमा नहीं की उपभोक्ताओं का विवरण निम्नलिखित है, कि घनश्याम पुत्र राधाकृष्ण एस. सी. नं०– 1111/3454 मीटर संख्या ए.सी. 1702 बकाया धनराशि 22,918 निवास ब्लाक गेट के सामने पछइया मोहल्ला इसके अलावा उसके द्वारा अन्य और भी संयोजन अन्य भी संयोजन पछइया मोहल्ला में चेक किये गये थे। जिसके संबन्ध में उसके द्वारा थाना को० औरैया में अपराध संख्या–287/2015 अंतर्गत धारा–138 बी विद्युत अधिनियम पंजीकृत कराया गया था, उसके द्वारा हस्तलिखित तहरीर दी गयी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर थे, चूकि आज पत्रावली पर उसके हस्तलिखित तहरीर मूल रुप से उपलब्ध नहीं है, साक्षी को जरिये वी. सी. पत्रावली पर उपलब्ध सी. डी. का पर्चा 1 कागज संख्या क 9 क/1 दिखाया गया जिसको देखकर साक्षी ने कहा कि जो उसने अपनी हस्तलिखित तहरीर दी थी और जिसका उतारा इस पर्चे में किया गया है वो शब्द व शब्द है। जिसको वह प्रमाणित करता है। विवेचनाधिकारी ने उसका बयान लिया था। उसकी निशानदेही पर नकशा नजरी बनाया था।

10. **पी०डब्लू०–3 चन्द्रभान (T.G.II)** ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 30–03–2015 को (T.G. II) के पद पर 33/11 के० वी० विद्युत वितरण में तैनात था। वह दिनांक 30–03–2015 को साथ पूर्व में बकाये एरियर पर काटे गये विद्युत संयोजनों को उपभोक्ताओं द्वारा बिना विद्युत बिल जमा किये अपनी मन मर्जी से सप्लाई चालू कर लेने के संबन्ध में विद्युत अधिनियम की धारा 138 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के संबन्ध में अवर अभियंता शशिकांत मौर्या द्वारा प्रा० पत्र दिया था। राजस्व वसूली व विद्युत रोको अभियान के दौरान निम्नलिखित उपभोक्ता जिनके बकाये विद्युत एरियर पर संयोजित संयोजन एल. टी. पोल से कटवा दिये थे। दिनांक 30–03–2015 को पुनः क्रास चेकिंग के दौरान उपभोक्ताओं के संयोजन एल. टी. पोल से बिना बकाया एरियर जमा किये बगैर जुडे पाये गये जब इन व्यक्तियों से बकाया एरियर के संबन्ध में जमा रसीद दिखाने को कहा तो कोई भी रसीद नहीं दिखायी इससे स्पष्ट होता है, कि उपभोक्ताओं के संयोजन एल. टी. पोल लाइन से करवा दिये गये। मौके पर उपभोक्ताओं ने बकाया एरियर से संबन्धित कोई भी राशि जमा नहीं की उपभोक्ताओं का विवरण निम्नलिखित है, कि घनश्याम पुत्र राधाकृष्ण एस. सी. नं०– 1111/3454 मीटर संख्या ए.सी. 1702 बकाया धनराशि 22,918 निवास ब्लाक गेट के सामने पछइया मोहल्ला इसके अलावा अन्य और भी संयोजन अन्य भी संयोजन पछइया मोहल्ला में चेक किये गये थे। जिसके संबन्ध में अवर अभियंता शशीकांत मौर्या द्वारा थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। तहरीरी प्रा० पत्र में गवाह के तौर पर उसके हस्ताक्षर कराये गये थे। विवेचनाधिकारी ने उसका बयान अंतर्गत धारा 161 सी. आर. पी. सी. अंकित किया था।

11. **पी०डब्लू०–4 रिटायर्ड उपनिरीक्षक शिव नारायण दुबे** ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि दिनांक 31.03.2015 को वह एस.सी.पी. के पद पर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया में था। उसे दिनांक 31.03.2015 को उपरोक्त मामले की विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली औरैया के लिखित आदेश के आधार पर प्राप्त हुयी थी। उसके द्वारा दिनांक 02.04.2015 को C/C 293 पंकज कुमार का बयान अंकित किया गया था तथा उसके द्वारा दिनांक 03.04.2015 को वादी मुकदमा शशिकान्त मौर्या अवर अभियन्ता 33/11K.V.विद्युत उपकेन्द्र औरैया व चश्मदीद गवाह चन्द्रभान टी.जी.–2 व दीपक शर्मा टी.जी.–2 का बयान भी अंकित किया गया था जिसका जिक्र उसके द्वारा सी.डी. परचा IInd में किया गया है। उसके द्वारा दिनांक 04.04.2015 को उपरोक्त मामले के वादी मुकदमा शशिकान्त मौर्या के निशानदेह पर घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण कर मौके पर नक्शा नजरी तैयार किया गया तथा दिनांक

09.04.2015 को बयान समई साक्ष्य व बयान एफ.आई.आर. लेखक और बयान चश्मदीद का बयान वादी के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त घनश्याम पर आरोप अन्तर्गत धारा 135 विद्युत अधिनियम का आरोप बखूबी साबित होने के आधार पर आरोपपत्र संख्या 173/2015 दिनांक 09.04.2015 को प्रेषित किया। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 7 क को देखकर साक्षी ने कहा कि ये नक्शा नजरी उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है जिस पर प्रदर्श क–2 डाला गया। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 3 क आरोपपत्र को देखकर साक्षी ने कहा कि यह आरोपपत्र उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पुष्टि व पहचान करता है जिस पर प्रदर्श क–3 डाला गया।

12. **पी०डब्लू०–5 H.C.C.P.118 पंकज यादव** ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि वह दिनांक 30.03.2015 को थाना कोतवाली जनपद औरैया में तैनात था। दिनांक 31.03.2015 को उपरोक्त मामले के वादी तहरीर श्री विवेक खरे ने दिया था। वह उक्त तिथि को कार्यलेख सी.सी.टी.एन.एस. में मौजूद ड्यूटी था। उसने दाखिल तहरीर के आधार पर उसने चिक संख्या NIL किता करके मुकदमा अपराध संख्या 287/2015 बनाम घनश्याम अन्तर्गत धारा 138 बी विद्युत अधिनियम पंजीकृत किया है। उसके द्वारा उसी एफ.आई.आर. में मुकदमा अपराध संख्या 279/2015 से लेकर 287/2015 तक वादी मुकदमा के तहरीर के आधार पर भिन्न–भिन्न व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. अंकित की थी। उसने तहरीरी प्रार्थनापत्र को शब्द व शब्द का कम्प्यूटर पर अंकन किया था। साक्षी पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 4 क/1 लगायत 4 क/3 देखकर कहा कि यह वही प्रथम सूचना रिपोर्ट है जिसका अंकन उसके द्वारा कम्प्यूटर पर किया गया था उसने उसी तिथि को नकल रपट संख्या 41/1610 कागज संख्या 6 क को देखकर कहा कि उसके द्वारा नकल चिक से शब्द व शब्द अंकित की गयी है जिसको वह प्रमाणित करता है जिस पर प्रदर्श क–5 डाला गया।

13. विद्युत विभाग के विद्वान अधिवक्ता तथा बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता को विस्तारपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

अभियोजन पक्ष के तर्क

14. अभियोजन पक्ष/विद्युत विभाग की ओर से विद्वान पैनल अधिवक्ता द्वारा यह तर्क दिया गया है कि वादी मुकदमा शशिकान्त मौर्या दिनांक 30.03.2015 राजस्व वसूली व विद्युत चोरी रोको अभियान के दौरान उपभोक्ता जिनके बकाये विद्युत एरियर पर संयोजित संयोजन एल. टी. पोल से कटवा दिये थे। दिनांक 30–03–2015 को पुनः क्रास चेकिंग के दौरान उपभोक्ताओं के संयोजन एल. टी. पोल से बिना बकाया एरियर जमा किये बगैर जुडे पाये गये जब इन व्यक्तियों से बकाया एरियर के संबन्ध में जमा रसीद दिखाने को कहा तो कोई भी रसीद नहीं दिखायी इससे स्पष्ट होता है, कि उपभोक्ताओं के संयोजन एल. टी. पोल लाइन से करवा दिये गये।घनश्याम पुत्र राधाकृष्ण एस. सी. नं०–1111/3454 मीटर संख्या ए.सी. 1702 बकाया धनराशि 22,918 निवास ब्लाक गेट के सामने पछइया मोहल्ला चैक किये गये। पूर्व में बकाया धनराशि जमा न करने के कारण दिनांक को संयोजन विच्छेदित कर दिया गया था। दिनांक 30.03.2015 को उक्त संयोजन को उन लोगो ने पुनः चैक किया तो पाया कि विद्युत केबिल को उक्त उपभोक्ता जोड़ कर चला रहे थे। चूंकि उक्त संयोजन बिल जमा न करने के कारण विच्छेदित किया गया था जमा राशि की रसीद व प्रपत्र मांगे गये तो नहीं दिखा सके। जिसके संबन्ध में उसके द्वारा थाना को० औरैया में अपराध संख्या –287/2015 अंतर्गत धारा–138 बी विद्युत अधिनियम पंजीकृत कराया गया था तहरीर लिखकर कोतवाली औरैया में दी थी। अभियोजन पक्ष/विद्युत कम्पनी के तथ्य के साक्षी पी0 डब्लू0–2 लगायत पी0 डब्लू0–3 ने घटना का पूर्णतः समर्थन किया है। इस प्रकार अभियोजन पक्ष/ विद्युत कम्पनी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 138 बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध

के आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णरूपेण सफल रहा है। अतः अभियुक्त दोषसिद्ध कर दण्डित किये जाने योग्य है।

बचाव पक्ष की ओर से

15. दूसरी ओर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता के द्वारा तर्क किया गया है कि अभियुक्त द्वारा कोई विद्युत का तार संयोजित संयोजन एल. टी. पोल से नहीं किया गया था न ही अपनी मन मर्जी से सप्लाई चालू की गयी थी। उसे उक्त मुकदमे में झूठा फंसाया गया है, किसी प्रपत्र पर उसके हस्ताक्षर नहीं कराये गये है और न ही इन्सपेक्शन रिपोर्ट तैयार की गयी है। घटना का कोई जन स्वतंत्र साक्षी नहीं है। विवेचक द्वारा अपनी विवेचना के दौरान पी.डब्लू.–1 विवेक खरे को वादी मुकदमा होने का कथऩ किया है तथा प्रथम सूचना लेखक पी.डब्लू.–5 ने भी तहरीर पी.डब्लू.–1 विवेक खरे द्वारा देना बताया है जिसके आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज की गयी है जबकि स्वयं विवेक खरे ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि उनके द्वारा दिनांक 30.03.2015 को कोई विद्युत चैकिंग नहीं की गयी है न ही वह इस मुकदमे के शिकायतकर्ता है न ही उन्होंने विवेचक को कोई बयान दिया। इस साक्षी ने अभियोजन कथानक का समर्थन स्वयं अपनी मुख्य परीक्षा में नहीं किया है। पी.डब्लू.–2 ने तहरीर थाने में देना बताया है तथा उक्त तहरीर के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज किये जाने का कथन किया है जबकि स्वयं पी.डब्लू.–5 जो इस प्रकरण के प्रथम सूचना लिखे जाने के लेखक है, ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि तहरीर विवेक खरे ने दी थी। इस प्रकरण में तहरीर साबित नहीं करायी गयी है। अतः सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है। अभियोजन द्वारा परीक्षित कराए गये पी.डब्लू.–1, पी.डब्लू.–2, पी.डब्लू.–4 व पी.डब्लू.–5 के बयानो में गम्भीर विरोधाभाष है। इस प्रकार विद्युत कम्पनी द्वारा अभियुक्त के विरूद्ध विद्युत अधिनियम की धारा 138 बी के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध के आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णरूपेण असफल रहा है। अतः ऐसी स्थिति में अभियुक्त सन्देह का लाभ पाते हुए दोषमुक्त किए जाने योग्य है।

16. दोनों पक्षों के उपरोक्त तर्को के आलोक में पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य का अवलोकन कर निष्कर्ष पर पहुंचने के लिये न्यायालय द्वारा निम्नलिखित निर्धारण बिन्दु विरचित किया जाते है–

(i) क्या आप अभियुक्त द्वारा दिनांक 30.03.2015 को समय 00.00 बजे पर विद्युत चैकिंग के दौरान अवैध रूप से पूर्व में बकाया विद्युत बिल जमा किये अपने स्तर से संयोजन जोड़कर विद्युत चोरी कर विद्युत का उपभोग किया गया?

(ii) क्या अभियुक्त धारा–138 बी विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत विधिक उपधारणा का खंडन करने में सफल रहा है ?

17. दाण्डिक विधिशास्त्र का स्वर्णिम सिद्धान्त है कि अभियोजन को अभियुक्त की किसी अपराध में सहभागिता को स्थापित करने का प्रारंभिक एवं परम्परागत भार का दायित्व निर्वहन करना चाहिये। अभियुक्त को उनके विरूद्ध लगाये गये आरोप में तभी दण्डादिश्ट किया जा सकता है, जब अभियोजन पक्ष यह सिद्ध करने में सफल हो कि घटना उसी प्रकार से घटित हुई जिस प्रकार से कही गयी है। अब देखना है कि क्या अभियोजन पक्ष अपने उक्त दायित्व का निर्वहन करने में सफल हो सका है।

18. प्रस्तुत मामले में अभियोजन कथनानुसार कथित घटना दिनांक 30.03.2015 को वादी मुकदमा अवर अभियन्ता शशिकान्त मौर्या जो अवर अभियंता के पद पर विद्युत वितरण खण्ड औरैया जनपद औरैया पर तैनात थे जब वह राजस्व वसूली व विद्युत चोरी रोको अभियान के दौरान उपभोक्ता जिनके बकाये विद्युत एरियर पर संयोजित संयोजन एल. टी. पोल से कटवा दिये थे जब वह चैकिंग पर गये तो दिनांक 30.03.2015 को पुनः क्रास चेकिंग के दौरान उपभोक्ताओं के संयोजन एल. टी. पोल से बिना बकाया एरियर जमा किये बगैर जुडे पाये गये जब इन व्यक्तियों से बकाया एरियर के संबन्ध में जमा रसीद दिखाने को कहा तो कोई भी रसीद नहीं दिखायी इससे स्पष्ट

होता है, कि उपभोक्ताओं के संयोजन एल. टी. पोल लाइन से कटवा दिये गये।पूर्व में बकाये विद्युत एरियर पर काटे गये संयोजनों की बकाया विद्युत बिल जमा करे बगैर विद्युत उपयोग कर रहे उपरोक्त उपभोक्ताओ के विरुद्ध वि०अधि० की धारा 138(B) के तहत प्राथमिकी दर्ज करवायी गयी। इस प्रकरण में अवर अभियन्ता शशिकान्त मौर्य किस समय अपने कार्यालय से राजस्व वसूली व विद्युत चोरी रोको अभियान के तहत रवाना हुये थे वह उनके द्वारा या किसी भी अन्य साक्षीगण द्वारा न्यायालय के समक्ष अपने बयानों में नहीं बताया गया है। विद्युत विभाग के कर्मचारियों की रवानगी किस समय हुयी थी, उसके सम्बन्ध में बिजली विभाग का कोई रजिस्टर या प्रविष्टि को साक्ष्य में न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया है एवं अभियोजन द्वारा साबित नहीं कराया गया है। कथित घटना तिथि को विद्युत विभाग के कर्मचारियों की रवानगी कथित समय पर रवानगी का सबसे उत्तम साक्ष्य उक्त रजिस्टर हो सकता था, लेकिन उस उत्तम साक्ष्य का मामले में अभाव है। इन सभी तथ्यों को साबित करने का भार केवल अभियोजन पर होता है। यद्यपि यह तथ्य मौखिक साक्ष्य में दिया जाता है कि बिजली विभाग के कर्मचारी पूर्वाक्त प्रयोजन के लिए गया था, किन्तु यदि इस तथ्य को दस्तावेजी साक्ष्य द्वारा भी साबित कराया जा सकता है, तो यह सबूत आवश्यक रूप से न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया जाना चाहिए। यदि अभियोजन मामले के साक्ष्य के ऐसे महत्वपूर्ण भाग को प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो उक्त मामले के मूल आधार और अभियोजन की संरचना समाप्त हो जायेगी।

19. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियोजन के परीक्षित कराये गये तथ्य के प्रथम साक्षी पी.डब्लू.–1 विवेक खरे ने अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया है। उन्होंने मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि उनके द्वारा दिनांक 30.03.2015 को किसी प्रकार की विद्युत चैकिंग नहीं की गयी है न ही वह इस मुकदमे के शिकायतकर्ता है। उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। अतः इस साक्षी के साक्ष्य से अभियोजन कथानक साबित नहीं होता है। अतः अभियुक्त को दोषमुक्त किया जाना चाहिए। अभियोजन द्वारा उपरोक्त तर्क का खण्डन किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि विवेक खरे ने विवेचक को दिये गये बयान में घटना का समर्थन किया है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा **पी.डब्लू.–1 विवेक खरे** के साक्ष्य का परिशीलन किया गया। **पी०डब्लू०–1 विवेक खरे ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है** कि वह दिनांक 30.03.2015 को अवर अभियन्ता के पद पर 33/11KV विद्युत उपकेन्द्र ककोर जनपद औरैया में तैनात था। दिनांक 30.03.2015 को वह समय करीब 12.00 दिन श्री शशिकान्त मौर्या अवर अभियन्ता औरैया, चन्द्रभान पुत्र रमेशचन्द्र व दीपक शर्मा टी .जी.–2 के साथ (पछईया बस्ती)मुहल्ला बनारसीदास में उसके द्वारा कोई विद्युत चैकिंग नहीं की गयी एवं न ही घनश्याम पुत्र राधाकृष्ण का विद्युत संयोजन चैक किया गया। विवेचनाधिकारी द्वारा उसका नाम मुकदमा अपराध 287/2015 अन्तर्गत धारा 138 बी विद्युत अधिनियम थाना औरैया जनपद औरैया के मामले में प्रेषित आरोपपत्र संख्या 173/2015 दिनांक 09.04.2015 में साक्षी के रूप में उसका नाम दौरान विवेचना कैसे अंकित कर दिया वह इस मामले का शिकायतकर्ता भी नहीं है और न ही विवेचनाधिकारी। दौरान विवेचना उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपी.सी. कैसे अंकित कर दिया है इसकी वजह वह नहीं बता सकता। **इस साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है कि** उपरोक्त वाद में उसका कोई रोल नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोपपत्र में उसका नाम गलत लिख गया है। वह इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है न विवेचक ने ही उसका बयान लिया है। उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि यह साक्षी घटना का चक्षुदर्शी साक्षी नहीं है। इस साक्षी द्वारा अभियोजन कथानक का समर्थन नहीं किया गया है। इसके द्वारा न तो दिनांक 30.03.2015 विद्युत चैकिंग की गयी न ही उसने कोई शिकायत इस बावत थाने में की न ही विवेचक ने उसका बयान लिया। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं होने का कथन अपनी प्रतिपरीक्षा में किया है। अतः बचाव पक्ष के इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध है।

20. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि अभियोजन के परीक्षित कराये गये तथ्य के प्रथम साक्षी पी.डब्लू.–1 विवेक खरे के द्वारा दिनांक 30.03.2015 को किसी प्रकार की विद्युत चैकिंग नहीं की गयी है न ही वह इस मुकदमे के शिकायतकर्ता है। उन्हें इस घटना की कोई जानकारी नहीं है। जबकि स्वयं पी.डब्लू.–4 विवेचक ने जो इस प्रकरण के औपचारिक साक्षी है, ने वादी मुकदमा पी.डब्लू.–2 शशिकान्त मौर्या को होना बताया है। पी.डब्लू.–5 ने प्रथम सूचना रिपोर्ट पी.डब्लू.–1 विवेक खरे द्वारा लिखवाया जाना न्यायालय में अभिकथित किया है। जबकि पी.डब्लू.–2 ने स्वयं शशिकान्त मौर्या ने इस प्रकरण का शिकायतकर्ता होना बताया। इस प्रकरण में साक्षी पी.डब्लू.–5 ने वादी मुकदमा पी.डब्लू.–1 को बताया है जबकि पी.डब्लू.–2 ने स्वयं को वादी मुकदमा होना बताया है जिसकी सम्पुष्टि विवेचक पी.डब्लू.–4 ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में की है। अतः इस प्रकरण में वादी मुकदमा पी.डब्लू.–2 की तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की गयी है इस प्रकरण में तहरीर साबित नहीं होती है। जिसे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। अभियोजन द्वारा उपरोक्त तर्क का खण्डन किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि इस प्रकरण में वादी मुकदमा शशिकान्त मौर्या ने उनके द्वारा राजस्व वसूली व विद्युत चोरी अभियान की चैकिंग दिनांक 30.03.2015 को की गयी थी जिसमें जो उपभोक्ता पूर्व में बकाये विद्युत एरियर पर काटे गये संयोजनों की बकाया विद्युत बिल जमा करे बगैर विद्युत उपयोग कर रहे उनके विरूद्ध तहरीर दी गयी। अतः अभियोजन कथानक संदिग्ध नहीं है। अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर पी.डब्लू.–1, पी.डब्लू.–2, पी.डब्लू.–4 व पी.डब्लू.–5 के न्यायालय के समक्ष दिये गये साक्ष्य का परिशीलन किया गया।

21. **पी०डब्लू०–1 विवेक खरे ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है** कि दिनांक 30.03.2015 में उसके द्वारा कोई विद्युत चैकिंग नहीं की गयी एवं न ही घनश्याम पुत्र राधाकृष्ण का विद्युत संयोजन चैक किया गया। विवेचनाधिकारी द्वारा उसका नाम मुकदमा अपराध 287/2015 अन्तर्गत धारा 138 बी विद्युत अधिनियम थाना औरैया जनपद औरैया के मामले में प्रेषित आरोपपत्र संख्या 173/2015 दिनांक 09.04.2015 में साक्षी के रूप में उसका नाम दौरान विवेचना कैसे अंकित कर दिया वह इस मामले का शिकायतकर्ता भी नहीं है और न ही विवेचनाधिकारी। दौरान विवेचना उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपी.सी. कैसे अंकित कर दिया है इसकी वजह वह नहीं बता सकता। **इस साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है कि** उपरोक्त वाद में उसका कोई रोल नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोपपत्र में उसका नाम गलत लिख गया है। वह इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है न विवेचक ने ही उसका बयान लिया है। **पी०डब्लू०–2 शशिकान्त मौर्या ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में यह कथन किया है** कि वह दिनांक 30–03–2015 को अवर अभियंता के पद पर विद्युत वितरण खण्ड औरैया जनपद औरैया पर तैनात था। दिनांक 30–03–2015 को पुनः क्रास चेकिंग के दौरान उपभोक्ताओं के संयोजन एल. टी. पोल से बिना बकाया एरियर जमा किये बगैर जुडे पाये गये जब इन व्यक्तियों से बकाया एरियर के संबन्ध में जमा रसीद दिखाने को कहा तो कोई भी रसीद नहीं दिखायी इससे स्पष्ट होता है, कि उपभोक्ताओं के संयोजन एल. टी. पोल लाइन से करवा दिये गये।मौके पर उपभोक्ताओं ने बकाया एरियर से संबन्धित कोई भी राशि जमा नहीं की। घनश्याम पुत्र राधाकृष्ण एस. सी. नं०–1111/3454 मीटर संख्या ए.सी. 1702 बकाया धनराशि 22,918 निवास ब्लाक गेट के सामने पछइया मोहल्ला इसके अलावा उसके द्वारा अन्य और भी संयोजन अन्य भी संयोजन पछइया मोहल्ला में चेक किये गये थे। जिसके संबन्ध में उसके द्वारा थाना को० औरैया में अपराध संख्या–287/2015 अंतर्गत धारा–138 बी विद्युत अधिनियम पंजीकृत कराया गया था, उसके द्वारा हस्तलिखित तहरीर दी गयी थी, जिस पर उसके हस्ताक्षर थे, चूकि आज पत्रावली पर उसके हस्तलिखित तहरीर मूल रुप से उपलब्ध नहीं है, साक्षी को जरिये वी. सी. पत्रावली पर उपलब्ध सी. डी. का पर्चा 1 कागज संख्या क 9 क/1 दिखाया गया जिसको देखकर साक्षी ने कहा कि जो उसने अपनी हस्तलिखित तहरीर दी थी और जिसका उतारा इस पर्चे में किया गया है वो शब्द व शब्द है। जिसको वह प्रमाणित करता

है। विवेचनाधिकारी ने उसका बयान लिया था। **इस साक्षी ने बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है कि** कनेक्शन काटने से पहले एक हफ्ते पहले गया था। उसके बाद वह चेकिंग के लिये गया था। उस पर धनराशि 22,000 लगभग बकाया था। चेकिंग के साथ उसके साथ चन्द्रभान थे। और बाकी लोगों का नाम याद नहीं है। एफ. आई. आर. के बाद कनेक्शन न जोड़ा जाये फिर भी बिल आता रहता है। उसे याद नहीं है।थाने में जो तहरीर लिखी थी। वह पत्रावली में नहीं है। FIR किसने लिखवायी थी, उसे जानकारी नहीं है। हो सकता है कि विवेक खरे ने लिखवायी हो। FIR उसने ही लिखवायी थी।उसे जानकारी नहीं है, कि FIR लिखने के किस तारीख को कनेक्शन काटा गया था। कनेक्शन काटने के बाद पार्टी को कनेक्शन कटने की जानकारी के संबन्ध में प्रपत्र यदि पार्टी लेती है, तो देते है, अन्यथा नहीं देते हैं। घटना स्थल पर वह FIR लिखने के बाद पुलिस के साथ कभी नहीं गया था। FIR लिखने के बाद पुलिस ने उसका बयान लिया था। कब लिया था, यह याद नहीं है। पुलिस द्वारा FIR लिखने के बाद बकाया बिल की रसीद आदि नहीं लिये थे। **पी०डब्लू०–3 चन्द्रभान (T.G. II) ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है** कि वह दिनांक 30–03–2015 को (T.G. II) के पद पर 33/11 के० वी० विद्युत वितरण में तैनात था। वह दिनांक 30–03–2015 को साथ पूर्व में बकाये एरियर पर काटे गये विद्युत संयोजनों को उपभोक्ताओं द्वारा बिना विद्युत बिल जमा किये अपनी मन मर्जी से सप्लाई चालू कर लेने के संबन्ध में विद्युत अधिनियम की धारा 138 बी के तहत प्राथमिकी दर्ज करने के संबन्ध में अवर अभियंता शशिकांत मौर्या द्वारा प्रा० पत्र दिया था।घनश्याम पुत्र राधाकृष्ण एस . सी. नं०–1111/3454 मीटर संख्या ए.सी. 1702 बकाया धनराशि 22,918 निवास ब्लाक गेट के सामने पछइया मोहल्ला इसके अलावा अन्य और भी संयोजन अन्य भी संयोजन पछइया मोहल्ला में चेक किये गये थे। जिसके संबन्ध में अवर अभियंता शशीकांत मौर्या द्वारा थाना कोतवाली में मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। तहरीरी प्रा० पत्र में गवाह के तौर पर उसके हस्ताक्षर कराये गये थे। विवेचनाधिकारी ने उसका बयान अंतर्गत धारा 161 सी. आर. पी. सी. अंकित किया था। **पी०डब्लू०–3 चन्द्रभान (T.G. II)से बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है** कि वह औरैया में सन 1991 से 2017 तक विद्युत विभाग में कार्यरत रहा। इस घटना में उसके साथ शशिकांत मौर्या व दीपक शर्मा गये थे। उसे याद नहीं कि विवेक खरे थे, या नहीं।उसे याद नहीं है, कि एफ. आई. आर. लिखने के कितने दिन पहले बकाया बिल के कारण कनेक्शन काटा गया था। घटना वाले दिन कनेक्शन काट के वे लोग विद्युत विभाग के कार्यालय चले आये थे। उसके बाद क्या कार्यवाही हुई उसे जानकारी नहीं है। उसके साथ चेकिंग में शशिकांत मौर्या जी गये थे। जिस दिन एफ. आई. आर. हुई थी, उस दिन कागज पर हस्ताक्षर कराये थे। जिस कागज पर हस्ताक्षर कराये थे, वह उसने पढ़ा था। उसे यह जानकारी नहीं है, कि किसी और ने हस्ताक्षर किये थे, या नहीं। **पी०डब्लू०–4 रिटायर्ड उपनिरीक्षक शिवनरायण दुबे ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है** कि दिनांक 31.03.2015 को वह एस.सी.पी. के पद पर थाना कोतवाली औरैया जनपद औरैया में था। उसे दिनांक 31.03.2015 को उपरोक्त मामले की विवेचना थाना प्रभारी निरीक्षक कोतवाली औरैया के लिखित आदेश के आधार पर प्राप्त हुयी थी। उसके द्वारा दिनांक 02.04.2015 को C/C 293 पंकज कुमार का बयान अंकित किया गया था तथा उसके द्वारा दिनांक 03.04.2015 को वादी मुकदमा शशिकान्त मौर्या अवर अभियन्ता 33/11K.V.विद्युत उपकेन्द्र औरैया व चश्मदीद गवाह चन्द्रभान टी.जी.–2 व दीपक शर्मा टी.जी.–2 का बयान भी अंकित किया गया था जिसका जिक्र उसके द्वारा सी.डी. परचा IInd में किया गया है।**पी०डब्लू०–4 रिटायर्ड उपनिरीक्षक शिवनरायण दुबे से बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है** कि उसे जानकारी नहीं है कि अभियुक्त घनश्याम का बिजली का कनेक्शन कब काटा गया था जब काटा गया था तब कितना बिजली का बिल बकाया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट शशिकान्त मौर्या ने लिखवायी थी। शशिकान्त मौर्या का बयान उसने लिया था उन्होंने अपने बयान में विवेक खरे का बयान नहीं लिया था। इस मामले के सम्बन्ध में उसने विवेक खरे का बयान लिया था। उन्होंने अपने बयान में इस मुकदमे के सम्बन्ध में बताया था कि वह चैकिंग के लिये गया और उसके द्वारा घनश्याम का कनेक्शन काटा गया था और मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। **पी०डब्लू०–5 H.C.C.P. पंकज यादव ने अपने**

मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि वह का सं० 293 के पद पर दिनांक 30.03.2015 को थाना कोतवाली जनपद औरैया में तैनात था। दिनांक 31.03.2015 को उपरोक्त मामले के वादी तहरीर श्री विवेक खरे ने दिया था।**पी०डब्लू०-5 H.C.C.P. पंकज यादव से बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है** कि इस मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट विवेक खरे ने लिखवायी थी। उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि विवेक खरे द्वारा न ही चैकिंग की गयी न ही उनके द्वारा थाने में तहरीर दी गयी। अतः इस मुकदमे की तहरीर साबित नहीं होती है। उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से यह स्पष्ट नहीं है कि मूल तहरीर किसने लिखी थी व मूल तहरीर लेकर कौन थाने गया। अतः बचाव पक्ष के इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि इस प्रकरण की तहरीर साबित नहीं होती है जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

22. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट किसके द्वारा लिखायी गयी। यह अभियोजन साबित नहीं कर पाया है जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध हो जाता है। जब प्रथम सूचना रिपोर्ट की सत्यता साबित नहीं हुयी तो वह अभियोजन के लिये घातक है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए तथा उसे दोषमुक्त किया जाना चाहिए। उपरोक्त तर्क का खण्डन अभियोजन द्वारा किया गया है तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखे जाने में किसी प्रकार की त्रुटि से इंकार किया जाता है तथा अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए। इस न्यायालय में दिये गये पी.डब्लू.-1 लगायत पी.डब्लू.-5 के बयानों से यह स्पष्ट है कि पंकज यादव हेड कांस्टेबिल ने न्यायालय के समक्ष अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में प्रथम सूचना रिपोर्ट विवेक खरे द्वारा लिखाये जाने का कथन किया गया है जबकि विवेक खरे ने किसी प्रकार की शिकायत करने से स्पष्ट इंकार न्यायालय के समक्ष दिये गये बयान में किया है **पी०डब्लू०-5 H.C.C.P. पंकज यादव ने अपने मुख्य परीक्षा के बयान में कथन किया है कि** वह का सं० 293 के पद पर दिनांक 30.03.2015 को थाना कोतवाली जनपद औरैया में तैनात था। दिनांक 31.03.2015 को उपरोक्त मामले के वादी तहरीर श्री विवेक खरे ने दिया था। वह उक्त तिथि को कार्यलेख सी.सी.टी.एन.एस. में मौजूद ड्यूटी था।उसने दाखिल तहरीर के आधार पर उसने चिक संख्या NIL किता करके मुकदमा अपराध संख्या 287/2015 बनाम घनश्याम अन्तर्गत धारा 138 बी विद्युत अधिनियम पंजीकृत किया है। उसके द्वारा उसी एफ.आई.आर. में मुकदमा अपराध संख्या 279/2015 से लेकर 287/2015 तक वादी मुकदमा के तहरीर के आधार पर भिन्न-भिन्न व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. अंकित की थी। उसने तहरीरी प्रार्थनापत्र को शब्द व शब्द का कम्प्यूटर पर अंकन किया था। साक्षी पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 4क/1 लगायत 4क/3 देखकर कहा कि यह वही प्रथम सूचना रिपोर्ट है जिसका अंकन उसके द्वारा कम्प्यूटर पर किया गया था उसने उसी तिथि को नकल रपट संख्या 41/1610 कागज संख्या 6क को देखकर कहा कि उसके द्वारा नकल चिक से शब्द व शब्द अंकित की गयी है जिसको वह प्रमाणित करता है जिसे प्रदर्श क-5 के रूप में साबित किया है। **पी०डब्लू०-5 H.C.C.P. पंकज यादव से बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है** कि इस मुकदमे की प्रथम सूचना रिपोर्ट विवेक खरे ने लिखवायी थी। उन्हीं के द्वारा दाखिल तहरीर के आधार पर मामला पंजीकृत किया था। वह आज साथ में मूल जी.डी. लेकर नहीं आया है। प्रथम सूचना रिपोर्ट पर उसके हस्ताक्षर नहीं है। उसने प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करके कोतवाली साहब को दे दी थी। विवेक खरे तहरीर लेकर स्वयं थाने आये थे। उन्हीं के बताने के आधार पर मामला पंजीकृत किया था। तहरीर लिखने के बाद दरोगाजी उसका बयान लिये थे कितने बाद लिये थे याद नहीं है। इस साक्षी द्वारा इस सुझाव को गलत बताया गया है कि उसने गलत रिपोर्ट दर्ज की है। । **पी.डब्लू.-2 शशिकान्त मौर्या** ने मुख्य परीक्षा में यह कथन किया है कि के संबन्ध में उसके द्वारा थाना को० औरैया में अपराध संख्या-287/2015 अंतर्गत धारा-138 बी विद्युत अधिनियम पंजीकृत कराया गया था, उसके द्वारा हस्तलिखित तहरीर दी गयी थी।**पी०डब्लू०-4 रिटायर्ड उपनिरीक्षक शिवनरायण दुबे से बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है कि** प्रथम सूचना रिपोर्ट शशिकान्त मौर्या ने लिखवायी थी। शशिकान्त मौर्या का

बयान उसने लिया था उन्होंने अपने बयान में विवेक खरे का बयान नहीं लिया था। उसने श्री शशिकान्त मौर्या को इस मुकदमा की विवेचना में चश्मदीद साक्षी बनाया है और चश्मदीद साक्षी के रूप में बयान अंकित किया है। उसने अपनी विवेचना में बयान वादी में विवेक खरे का नाम लिया है। यह बात सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के कालम नम्बर 6 में शिकायतकर्ता का नाम विवेक खरे अंकित है। इस घटना की एफ.आई.आर. जब दर्ज हुयी थी उस समय वह कोतवाली औरैया में तैनात था। वह घटनास्थल पर गया था। कोतवाली से घटनास्थल एक सवा किलोमीटर की दूरी पर है। इस साक्षी द्वारा इस सुझाव को गलत बताया गया है कि उसने शशिकान्त मौर्या और विवेक खरे के बयान नहीं लिये थे थाने में बैठकर लिख लिये थे इसलिए आज सही बात नहीं बता पा रहा हो। प्रथम सूचना रिपोर्ट जो हेड कांस्टेबिल पंकज यादव द्वारा विवेक खरे द्वारा लिखवाये जाने का कथन किया गया है वह झूठा साबित होता है। पी.डब्लू.–5 पंकज यादव ने शशिकान्त मौर्या द्वारा प्रस्तुत तहरीर पर प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज नहीं की है जो अभियोजन के लिये घातक है। इसलिए प्रथम सूचना रिपोर्ट पंकज यादव द्वारा न्यायालय में साबित की गयी है उसका लाभ अभियोजन को नहीं दिया जा सकता।

23. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि पी.डब्लू.–1, पी.डब्लू.–2 एवं पी.डब्लू.–3 के बयान में विरोधाभाष है। तीनों साक्षीगण के साक्ष्य में विरोधाभाष है जिसका लाभ अभियुक्त को देते हुये उसे दोषमुक्त किया जाना चाहिए। उपरोक्त तर्क का खण्डन किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया कि जो विरोधाभाष है वह मामूली है जिससे अभियोजन कथानक को कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता है। इस न्यायालय द्वारापी.डब्लू.–1, पी.डब्लू.–2 एवं पी.डब्लू.–3 के बयानों का परिशीलन किया जाना आवश्यक हो जाता है। **पी०डब्लू०–1 विवेक खरे से बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है कि** उपरोक्त वाद में उसका कोई रोल नहीं है। प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोपपत्र में उसका नाम गलत लिख गया है। वह इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है न विवेचक ने ही उसका बयान लिया है। **पी०डब्लू०–2 शशिकान्त मौर्या से बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है कि** FIR किसने लिखवायी थी, उसे जानकारी नहीं है। हो सकता है कि विवेक खरे ने लिखवायी हो। FIR उसने ही लिखवायी थी।इस साक्षी द्वारा इस सुझाव को गलत बताया गया है कि FIR उसने नहीं लिखवायी थी। इसलिये मूल तहरीर FIR के साथ नहीं लगी हुई है। उसे याद नहीं है, उस समय आस पास के लोग आये थे, या नहीं आये थे।घटना स्थल पर वह FIR लिखने के बाद पुलिस के साथ कभी नहीं गया था। **पी०डब्लू०–3 चन्द्रभान (T.G. II)से बचाव पक्ष द्वारा जिरह करने पर कथन किया गया है** कि इस घटना में उसके साथ शशिकांत मौर्या व दीपक शर्मा गये थे। उसे याद नहीं कि विवेक खरे थे , या नहीं। उसे याद नहीं है,उसके साथ चेकिंग में शशिकांत मौर्या जी गये थे। जिस दिन एफ. आई. आर. हुई थी, उस दिन कागज पर हस्ताक्षर कराये थे। जिस कागज पर हस्ताक्षर कराये थे, वह उसने पढ़ा था। उसे यह जानकारी नहीं है, कि किसी और ने हस्ताक्षर किये थे, या नहीं। उपरोक्त तीनों साक्षीगण के साक्ष्य में गम्भीर विरोधाभाष है। यह विरोधाभास सूक्ष्म प्रकृति के नहीं हैं। विरोधाभास इतना गम्भीर है कि अभियोजन कथानक की बुनियाद हिला दी। जो विरोधाभास हैं, वह मामले की तह तक जाते हैं। इसलिए न्यायालय का कार्य सत्य से असत्य को अलग करना है तथा इस प्रयास में न्यायालय को भूसे से गेहूँ की खोज के समान कार्य करना है। उपरोक्त सभी गवाहों की गवाही में काफी उतार चढ़ाव है तथा तात्विक विरोधाभास है। जिससे अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है।

24. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा विरोधाभासी साक्ष्य पर यह विधि व्यवस्थाएं उद्धृत की गई हैं– **यू0 पी0 राज्य बनाम कृष्ण मास्टर 2010 सी.आर.एल.जे. 3889** के मामले में यह मत व्यक्त किया गया है कि ''किसी भी साक्षी के साक्ष्य का मूल्यांकन करते समय न्यायालय का दृष्टिकोण इस प्रकार होना चाहिए कि ''किसी साक्षी के साक्ष्य यदि समग्र रूप से पढ़े जाये तो क्या उक्त साक्षी सत्य एवं विश्वास से प्रेरित है।

25. बचाव पक्ष के इस तर्क में बल प्रतीत होता है कि उपरोक्त तीनो साक्षीगण के साक्ष्य विरोधाभासी होने के कारण उसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

26. यह विधि का सिद्धान्त है कि रिकवरी मेमो, जांच के दौरान साक्ष्य की बरामदगी को दर्ज करने वाला एक दस्तावेज है। यदि अभियोजन पक्ष रिकवरी मेमो के साथ प्रामाणिकता और विवरण साबित करने में विफल रहता है, तो यह अभियुक्त के खिलाफ मामले को खतरे में डाल सकता है। रिकवरी मेमो को उचित संदेह से परे साबित किया जाना चाहिए परन्तु इस प्रकरण में विद्युत विभाग के कर्मचारीगणों द्वारा रिकवरी मैमो बनाया ही नहीं गया। अतः रिकवरी मेमो न बनाना पूर्णतः अभियोजन कथानक को संदिग्ध बनाता है।

27. बचाव पक्ष के विद्वान अधिवक्ता की ओर से यह तर्क दिया गया कि विद्युत विभाग द्वारा इस प्रकरण में घटना का कोई स्वतंत्र साक्षी प्रस्तुत नहीं किया गया है, जबकि घटना पछइया मोहल्ला की है जहां काफी लोगों का आना जाना रहता है अन्तर्गत थाना कोतवाली औरैया जिला औरैया पर होना दर्शाया गया है। जो साक्षी अभियोजन पक्ष की ओर से प्रस्तुत किये गये है, वे सभी विद्युत कर्मी है और हितबद्ध साक्षी हैं और मात्र ऐसे साक्षियों के साक्ष्य के आधार पर अभियुक्त को दंडित नहीं किया जा सकता है। बचाव पक्ष के उक्त तर्क का अभियोजन पक्ष की ओर से विरोध किया गया तथा तर्क दिया गया कि आज के समय में स्वतंत्र साक्षी मिल पाना मुश्किल है। कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के विरूद्ध भलाई–बुराई के कारण गवाही देने से बचता है। ऐसा नहीं है कि विद्युत कर्मचारियों का साक्षियों के रूप में साक्ष्य होने पर अभियुक्त को दंडित न किया जा सकता हो। उल्लेखनीय है कि विद्युत कर्मचारीगण द्वारा प्रस्तुत प्रकरण में अभियुक्त द्वारा पूर्व में बकाये विद्युत एरियर पर काटे गये संयोजनों की बकाया विद्युत बिल जमा करे बगैर विद्युत का उपयोग करना दर्शाया गया है। इस प्रकरण में विद्युत विभाग द्वारा दो जनता के स्वतंत्र व्यक्तियों के समक्ष कार्यवाही की गयी ऐसा कोई कथन तथ्य के साक्षियों द्वारा अपनी मौखिक साक्ष्य में मुख्य परीक्षा या प्रतिपरीक्षा में नहीं किया गया है। न्यायालय के समक्ष बरामद केबिल तार पेश नहीं किया गया है। इस प्रकरण में सभी साक्षीगण बिजली विभाग के थे उनके द्वारा जनता के किसी व्यक्ति को कार्यवाही में शामिल नहीं किया गया है। परन्तु इस प्रकरण में इस आवश्यक विधिक प्रक्रिया का अनुपालन विद्युत विभाग के कर्मचारीगण द्वारा न किया जाना अभियोजन कथानक के प्रति सन्देह उत्पन्न करने हेतु पर्याप्त है।घटना के सम्बन्ध में जनता के किसी व्यक्ति को गवाह बनाने हेतु समुचित प्रयास नहीं किया गया। इससे भी अभियोजन कथानक विश्वास किये जाने योग्य नही रह जाता है।

28. इस सम्बन्ध में पी0 डब्लू0–2 व पीडब्लू0–3 के बयानों के अवलोकन से यह स्पष्ट होता कि अभियुक्त द्वारा संयोजन एल. टी. पोल से बिना बकाया एरियर जमा किये, बिजली उपभोग की जा रही थी जिसे विद्युत विभाग के कर्मचारियों द्वारा संयोजन एल. टी. पोल लाइन से कटवा दिये गये। परन्तु दोनों साक्षियों ने अपने बयान में यह कहीं नहीं कहा है कि कोई केबिल बरामदगी की गयी हो या कोई फर्द बनायी गयी थी, केवल यह कहा है कि संयोजन एल. टी. पोल लाइन से कटवा दिये गये। पी.डब्लू.–2 द्वारा चैकिंग भी रिपोर्ट बनाई गयी है,ऐसा कोई कथन नहीं किया है। अभियोजन यह भी साबित नहीं कर पाया कि वह कौन सा एल 0 टी0 फीडर था और पोल की संख्या क्या थी। अभियुक्त मौके पर उपस्थित था या नहीं यह भी विद्युत विभाग द्वारा नहीं बताया गया है। जब किसी स्थल की तलाशी की जायेगी तो उस समय पर स्थान की अधिभोगी अथवा उसकी ओर से किसी प्राधिकृत व्यक्ति उपस्थित रहेगा और इस तलाशी के अनु क्रम में अभिग्रहीत सभी वस्तुओं की सूची तैयार की जायेगी, जिसकी एक प्रति अधिभोगी अथवा प्राधिकृत व्यक्ति को प्रदत्त की जायेगी तथा उस सूची पर अधिभोगी अथवा प्राधिकृत अधिकारी के हस्ताक्षर प्राप्त किए जायेंगे। उक्त प्रकरण में ऐसा भी नहीं किया गया है जिससे सम्पूर्ण अभियोजन कथानक संदिग्ध प्रतीत होता है।

29. बचाव पक्ष द्वारा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि नक्शा नजरी से घटनास्थल साबित नहीं होता है। विवेचक द्वारा विवेचना में त्रुटि की गयी है क्योंकि उसने विवेक खरे के बयान लेना अपनी प्रतिपरीक्षा में बताया है जबकि विवेक खरे ने अपनी मुख्य परीक्षा व प्रतिपरीक्षा में स्वयं को शिकायतकर्ता नहीं होने का कथन किया है तथा विवेचक को किसी प्रकार का बयान नहीं देने का कथन किया है। विवेचक ने शशिकान्त मौर्या की निशानदेही पर घटनास्थल का नक्शा नजरी बनाने का कथन किया है जबकि घटनास्थल के आस पास क्या स्थल थे वह नहीं बता पाया जिससे घटना साबित नहीं होती है जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना चाहिए। अभियोजन द्वारा उपरोक्त तर्क का खण्डन किया गया तथा यह तर्क प्रस्तुत किया गया है कि नक्शा नजरी से घटना साबित होती है तथा विवेचना में कोई त्रुटि नहीं की गयी है। अतः अभियुक्त को दोषसिद्ध किया जाना चाहिए। इस न्यायालय द्वारा पत्रावली पर मौजूद **नक्शा नजरी 7 क, पी.डब्लू.–1 विवेक खरे, पी.डब्लू.–2 शशिकान्त मौर्या एवं विवेचक पी.डब्लू.–4 शिव नारायण दुबे के बयान परिशीलन किया गया। नक्शा नजरी 7 क में** 1. चिन्ह Ⓐ के द्वारा अभियुक्त का वह मकान जिस पर मेनलाइन व मीटर के पहले केबिल में कट लगाकर केबिल बाईपास कर विद्युत चोरी हो रही थी। 2. चिन्ह Ⓑ→→ के द्वारा बिजली चेकिंग पार्टी का मु० पछैया पर अन्दर जाना दर्शाया गया है जहां बिजली चोरी हो रही थी दर्शाया गया है। **पी.डब्लू.–1 विवेक खरे** ने अपनी मुख्य परीक्षा में स्पष्ट कथन किया है कि वह इस मामले का शिकायतकर्ता भी नहीं है और न ही विवेचनाधिकारी। दौरान विवेचना उसका बयान अन्तर्गत धारा 161 सीआरपी.सी. कैसे अंकित कर दिया है इसकी वजह वह नहीं बता सकता। इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट व आरोपपत्र में उसका नाम गलत लिख गया है। वह इस घटना के बारे में कुछ नहीं जानता है न विवेचक ने ही उसका बयान लिया है। **पी.डब्लू.–2 शशिकान्त मौर्या ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि** विवेचनाधिकारी ने उसका बयान लिया था। उसकी निशानदेही पर नकशा नजरी बनाया था। **इस साक्षी ने प्रतिपरीक्षा में कथन किया है कि** घटना स्थल पर वह FIR लिखने के बाद पुलिस के साथ कभी नहीं गया था। FIR लिखने के बाद पुलिस ने उसका बयान लिया था। कब लिया था, यह याद नहीं है। पुलिस द्वारा FIR लिखने के बाद बकाया बिल की रसीद आदि नहीं लिये थे। उपरोक्त साक्षी के साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वह विवेचक के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने के बाद घटनास्थल पर गया नहीं **जबकि स्वयं विवेचक पी.डब्लू.–4 ने अपनी मुख्य परीक्षा में कथन किया है कि उसके द्वारा दिनांक 03.04.2015 को** वादी मुकदमा शशिकान्त मौर्या अवर अभियन्ता 33/11K.V.विद्युत उपकेन्द्र औरैया व चश्मदीद गवाह चन्द्रभान टी.जी.–2 व दीपक शर्मा टी.जी.–2 का बयान भी अंकित किया गया था जिसका जिक्र उसके द्वारा सी.डी. परचा IInd में किया गया है। उसके द्वारा दिनांक 04.04.2015 को उपरोक्त मामले के वादी मुकदमा शशिकान्त मौर्या के निशानदेह पर घटनास्थल पर जाकर निरीक्षण कर मौके पर नक्शा नजरी तैयार किया गया। विवेचक पी.डब्लू.–4 शिवनारायण दुबे ने मुख्य परीक्षा में पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 7 क को देखकर कहा कि ये नक्शा नजरी उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पहचान व पुष्टि करता है जिसे प्रदर्श क–2 के रूप में साबित किया है। पत्रावली पर उपलब्ध कागज संख्या 3 क आरोपपत्र को देखकर साक्षी ने कहा कि यह आरोपपत्र उसके हस्तलेख व हस्ताक्षर में है जिसकी वह पुष्टि व पहचान करता है जिसे प्रदर्श क–3 के रूप में साबित किया है। **अतः विवेचक के बयानों की सम्पुष्टि वादी मुकदमा पी.डब्लू.–2 शशिकान्त मौर्या के बयान से नहीं होती है।** दोनों के बयान भिन्न है एवं विरोधाभाषी है। स्वयं शशिकान्त मौर्या के बयान से यह साबित होता है कि दिनांक 04.04.2015 को घटनास्थल पर नहीं गया था क्योंकि उसने प्रतिपरीक्षा में यह स्वीकार किया है कि वह विवेचक के साथ प्रथम सूचना रिपोर्ट लिखाने के बाद घटनास्थल पर गया नहीं। इस प्रकरण के प्रथम सूचना रिपोर्ट दिनांक 31.03.2015 लिखी गयी है। अतः इस स्तर पर यह नहीं कहा जा सकता कि नक्शा नजरी से घटना साबित होती है क्योंकि वादी मुकदमा शशिकान्त मौर्या दिनांक 04.04.2015 को घटनास्थल पर नहीं गये जब विवेचक द्वारा नक्शा नजरी बनाया गया। उपरोक्त साक्षीगण के साक्ष्य से इस प्रकरण में विवेचक द्वारा बनाया नक्शा नजरी से घटनास्थल साबित नहीं होता है। विवेचना में त्रुटि है। सम्पूर्ण विवेचना कपोकाल्पित प्रतीत होती है क्योंकि विवेचक से जब **बचाव पक्ष ने जिरह की तो विवेचक ने**

यह कथन किया है कि उसे जानकारी नहीं है कि अभियुक्त घनश्याम का बिजली का कनेक्शन कब काटा गया था जब काटा गया था तब कितना बिजली का बिल बकाया था। प्रथम सूचना रिपोर्ट शशिकान्त मौर्या ने लिखवायी थी। शशिकान्त मौर्या का बयान उसने लिया था उन्होंने अपने बयान में विवेक खरे का बयान नहीं लिया था। इस मामले के सम्बन्ध में उसने विवेक खरे का बयान लिया था। उन्होंने अपने बयान में इस मुकदमे के सम्बन्ध में बताया था कि वह चैकिंग के लिये गया और उसके द्वारा घनश्याम का कनेक्शन काटा गया था और मुकदमा पंजीकृत कराया गया था। उसे जानकारी नहीं है कि दौरान विवेचना घनश्याम द्वारा बकाया बिल जमा किया गया या नहीं। इस साक्षी द्वारा इस सुझाव को गलत बताया गया है कि उसने विवेक खरे का बयान नहीं लिया हो और थाने में बैठकर लिख लिया हो।शशिकान्त मौर्या को इस मुकदमा की विवेचना में चश्मदीद साक्षी बनाया है और चश्मदीद साक्षी के रूप में बयान अंकित किया है। उसने अपनी विवेचना में बयान वादी में विवेक खरे का नाम लिया है। यह बात सही है कि प्रथम सूचना रिपोर्ट के कालम नम्बर 6 में शिकायतकर्ता का नाम विवेक खरे अंकित है। इस घटना की एफ.आई.आर. जब दर्ज हुयी थी उस समय वह कोतवाली औरैया में तैनात था। वह घटनास्थल पर गया था। कोतवाली से घटनास्थल एक सवा किलोमीटर की दूरी पर है। अतः इस सम्भावना से इंकार नहीं किया जा सकता कि विवेचना में त्रुटि की गयी है।

30. यहां पर यह वर्णन करना समीचीन होगा कि अभियोजन/परिवादी के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मामले को सन्देह से परे साबित करे जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये विधि निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया था।

31. माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा पारित किये गये विधि निर्णय **सुजीत विश्वास बनाम असाम राज्य ए0आई0आर0 2013 एस0सी0 3817** में यह अभिमत दिया था कि सन्देह कितना भी गहरा हो, परन्तु सबूत का स्थान नहीं ले सकता तथा अभियोजन को स्पष्ट एवं विश्वसनीय साक्ष्य द्वारा ही अपने मामले को साबित करना चाहिए तथा साक्ष्य ऐसा होना चाहिए जिसका खण्डन न हो सके।

32. यहां पर यह वर्णन करना समीचीन होगा कि अभियोजन/परिवादी विद्युत विभाग के लिए यह आवश्यक है कि वह अपने मामले को सन्देह से परे साबित करे जैसा कि माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित किये गये विधि निर्णय में अभिनिर्धारित किया गया था।

33. Rang bahadur Singh Vs. State of U.P.2000 IIAD(S.C.)103 That the time tested rule is that acquittal of a guilty person should be preferred to conviction of an innocent person Unless the prosecution establishes the guilt of the accused beyond reasonable doubt a conviction can not be passed on the accused A criminal Court cannot afford to deprive liberty of the appellants life long liberty without having at least a reasonable level of certainty that the appellants were the real culprits.

34. खण्डन के बिन्दु पर विधि सुस्थापित है। उपधारणाओं का खण्डन एक प्रज्ञावान व्यक्ति के दृष्टिकोण के अनुसार ही किया जाना चाहिए, जिससे कि न्यायालय को अभियुक्त के बचाव के अस्तित्व पर विश्वास हो। अन्य शब्दों में, अभियुक्त को अपना बचाव सन्देह से परे साबित नहीं करना है। यदि कोई विधि सन्देह का भार अभियुक्त की ओर स्थानान्तरित करती है, तब अभियुक्त पर यह भार होगा कि वह उपधारणाओं का खण्डन करे। अभियुक्त को अपने विरूद्ध उपधारणाओं का खण्डन किस हद तक करना है, इसका उत्तर माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा निम्नलिखित वाद में दिया गया है जो कि इस प्रकार है-

Hiten P. Dalal Vs. Bratindranath Banjerjee" cited as 2001 (6)SCC 16 in para 20 as follows :-"Therefore the rebuttal does not have to be conclusively established but such evidence must be adduced before the court in support of the defence that the

Court must either believe the defence to exist or consider its existence to be reasonably probable the standard or reason ability being that of the "prudent man".

35. निर्धारण बिन्दु–1 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

36. निर्धारण बिन्दु सं02 इस आशय का विरचित किया गया है कि क्या अभियुक्त धारा–138 बी विद्युत अधिनियम, 2003 के अन्तर्गत विधिक उपधारणा का खंडन करने में सफल रहा है ?

37. धारा 138 बी विद्युत अधिनियम, 2003 में यह वर्णित है कि यदि यह साबित कर दिया जाता है कि ऐसा संयोजन जैसा खण्ड (क) में निर्दिष्ट है या ऐसा पुनःसंयोजन खण्ड (ख) में निर्दिष्ट है या ऐसा सम्पर्क जैसा खण्ड (ग) में निर्दिष्ट है करने के लिए या ऐसा परिवर्तन या निवारण करने के लिए जैसा कि खण्ड (घ) में निर्दिष्ट है और वह मीटर सूचक या यंत्र उपभोक्ता की अभिरक्षा में या उसके नियंत्रण के अधीन है, चाहे वह उसकी सम्पत्ति हो या न हो, तो जब तक कि प्रतिकूल साबित नही कर दिया जाता यह उपधारणा की जाएगी कि जैसा विषय हो ऐसा संयोजन, पुनःसंयोजन, सम्पर्क, निवारण या अनुचित उपयोग ऐसे उपभोक्ता द्वारा जानते हुए और जानबूझकर किया गया है। इस प्रकरण में बचाव पक्ष द्वारा यह साबित किया गया है कि उसको फर्जी फसाया गया है क्योंकि जब अभियुक्त का कनेक्शन काटा गया था तब अभियुक्त वहां मौजूद था या नहीं यह स्पष्ट नहीं है क्योंकि उसके किसी पर्चे पर हस्ताक्षर नहीं कराये गये थे। अभियोजन यह साबित करने में विफल रहा है कि अभियुक्त द्वारा अनाधिकृत रूप संयोजन एल. टी. पोल से बिना बकाया एरियर जमा किये विद्युत का उपयोग कर रहे थे। विशेष न्यायालय तब तक यह उपधारणा करेगा कि ऐसे व्यक्ति ने, यथास्थिति, वह अपराध किया है, या उसको करने का प्रयत्न किया है जब तक कि इसके विरूद्ध साबित नहीं कर दिया जाता है। इस धारा के परिप्रेक्ष्य में यह माना जाएगा कि अभियुक्त द्वारा अपराध जानते हुये और जानबूझकर किया गया है, बशर्ते अभियुक्त द्वारा प्रतिकूल साबित नहीं किया जाता, कि अपराध के लिए आरोपित कृत्य के संबंध में उसकी ऐसी मंशा नहीं थी। अभियुक्त उक्त भार को अभियोजन गवाहन के प्रतिपरीक्षण से उन्मोचित करने में सफल रहा है। अभियोजन साक्षी की साक्ष्य में तात्विक विरोधाभास है तथा अभियोजन कथन संदेहास्पद है। विद्युत अधिनियम की धारा 138 बी की उपधारणा अखण्डनीय नहीं हैं। इसका अर्थ यह है कि इन उपधारणाओं का खण्डन बचाव पक्ष के द्वारा किया जा सकता है, अर्थात बचाव पक्ष अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किये गये साक्षियों की कड़ी प्रतिपरीक्षा करके भी इन उपधारणाओं का खण्डन कर सकता है। जैसा कि इस प्रकरण में किया गया है, क्योंकि अभियोजन साक्षियों द्वारा दिए गए परिसाक्ष्य में इतने अधिक विरोधाभास व विगसतियां उत्पन्न हुई हैं कि अभियोजन साक्ष्य इस स्तर तक नहीं उठ पाया है, जैसा कि नियम है कि अभियोजन युक्तियुक्त संदेह से परे कथानक को साबित करें। अभियोजन युक्तायुक्त संदेह से परे साबित करने में विफल रहा है। ऐसी दशा में उक्त उपधारणा स्वंयमेव खण्डित हो जाती है।

38. निर्धारण बिन्दु-2 तदनुसार निस्तारित किया जाता है।

39. अतः उपरोक्त तथ्यों, परिस्थितियों एवं न्यायिक सिद्धांत के विश्लेषण के उपरान्त न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि अभियोजन पक्ष/विद्युत कम्पनी अभियुक्त घनश्याम के विरूद्ध विद्युत अधिनियम, 2003 की धारा 138 बी के आरोप को युक्तियुक्त सन्देह से परे साबित करने में पूर्णरूपेण असफल रहा है। अतः अभियुक्त दोषमुक्त किये जाने योग्य है।

आदेश

40. विशेष वाद सं०–**10 ए** सन **2015**, मु०अ०सं०–**287/2015**, थाना–**कोतवाली औरैया**, जनपद–औरैया में अभियुक्त **घनश्याम** पुत्र श्री राधाकृष्ण निवासी ब्लाक गेट के सामने मोहल्ला पछईया औरैया थाना कोतवाली औरैया जिला औरैया को आरोपित अपराध अंतर्गत धारा–**138 बी भारतीय विद्युत अधिनियम** के आरोप से साक्ष्य के अभाव में **दोषमुक्त** किया जाता है। अभियुक्त जमानत पर है। अभियुक्त के व्यक्तिगत बन्धपत्र व प्रतिभू बन्ध पत्र निरस्त किये जाते हैं तथा उसके प्रतिभूओं को उनके दायित्वों से उन्मोचित किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार दाखिल अभिलेखागार हो।

41. घनश्याम द्वारा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 437–ए के अंतर्गत 20,000/– रूपये (बीस हजार रूपये) का व्यक्तिगत बंधपत्र व इतनी ही धनराशि की दो प्रतिभू दाखिल किये जा चुके है। वे नियमानुसार निर्धारित अवधि सीमा तक वैध रहेंगे।

दिनांक–25.03.2026

(पारूल जैन)
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।

आज यह निर्णय व आदेश खुले न्यायालय में मेरे द्वारा हस्ताक्षरित व दिनांकित करके सुनाया गया।

दिनांक–25.03.2026

(पारूल जैन)
विशेष न्यायाधीश विद्युत अधिनियम/
अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम,
औरैया।